

**न्यायालय— श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)**

कमांक ..... 402 / 2024

अशोकनगर दिनांक ..... 08/04/24

**// विविध आदेश //**  
**जिला मुख्यालय अशोकनगर**

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार माह **अप्रैल-मई 2024** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क	अधिकारी का नाम	अप्रैल	मई	
1	श्रीमती पूनम कटारिया, जे.एम.एफ.सी.	—	23	
2	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौर) जे.एम.एफ.सी.	21	5	
3	श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी.	—	18, 19	
4	सुश्री गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी.	11, 28	26	
5	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.	9, 14, 17	12	

- नोट** 1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
2. यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्यदिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक..... / 2024

अशोकनगर दिनांक .....

**प्रतिलिपि :-**

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती पूनम कटारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्रीमती श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौर), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सुश्री गौरी सक्सेना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री ध्रुव अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अशोकनगर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ अशोकनगर, ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

S.d.

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे

**न्यायालय- श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)**

क्रमांक ...403.../2024

अशोकनगर दिनांक ...08/04/24

**// विविध आदेश //**  
**तहसील मुख्यालय चंदेरी**

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार **अप्रैल-मई-2024** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	अप्रैल	मई
1	श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक), जे.एम.एफ.सी.	9, 11, 14, 17, 21, 28	5, 7, 12, 18, 19, 23, 26

- नोट-1.** मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
- यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्य दिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
  - यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।
  - श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक) जे.एम.एफ.सी. चंदेरी के उक्त सार्वजनिक अवकाशों में मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य तहसील मुख्यालय मुंगावली पर रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक...../2024

अशोकनगर दिनांक .....

**प्रतिलिपि :-**

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ चंदेरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

Sd  
श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

**न्यायालय— श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)**

क्रमांक ...५०५...../2024

अशोकनगर दिनांक ...०४/०५/२४

**//विविध आदेश//  
तहसील मुख्यालय मुंगावली**

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार **माह अप्रैल-मई-2024** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	अप्रैल	मई
1	श्रीमती रिनी खान शेख, जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	21, 28	5, 7, 12, 18
2	सुश्री पारूल चौकसे जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	9, 11, 14, 17	19, 23, 26

**नोट**—1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।

- यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्यदिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
- यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक...../2024

अशोकनगर दिनांक .....

**प्रतिलिपि :-**

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती रिनी खान शेख, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- सुश्री पारूल चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना मुंगावली की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ मुंगावली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

54  
श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-अशोकनगर म.प्र.

**न्यायालय- श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)**

क्रमांक .....405...../2024

अशोकनगर दिनांक .....08/04/24

**//विधि आदेश//**  
**तहसील मुख्यालय ईसागढ**

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार **अप्रैल, मई-2024** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	अप्रैल	मई
1	श्री अजय कुमार नागेश, जे.एम.एफ.सी. ईसागढ	9, 11, 14, 17, 21, 28	5, 7, 12, 18, 19, 23, 26

- नोट-1.** मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
- यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्य दिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
  - यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।
  - श्री अजय कुमार नागेश, जे.एम.एफ.सी. ईसागढ के उक्त सार्वजनिक अवकाशों में मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य जिला मुख्यालय अशोकनगर पर रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक...../2024

अशोकनगर दिनांक .....

**प्रतिलिपि :-**

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ईसागढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना ईसागढ की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ ईसागढ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

Sd  
श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला-अशोकनगर म.प्र.